दिनांक–21 अप्रैल 2022

''अभिरूचि की अभिव्यक्ति''

उत्तराखण्ड स्थित चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को **''परिवहन''** सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड स्थित पंजीकृत **''टूर ऑपरेटर्स''** से ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित की जाती है। चयनित ''टूर ऑपरेटर'' कम्पनी/फर्म को श्री बदरीनाथ केदारनाथ मन्दिर समिति अपनी आधिकारिक वेब–साईट के माध्यम से श्रद्धालु/यात्री उपलब्ध कराऐगी। चयनित टूर ऑपरेटर श्रद्धालु/यात्री को टैक्सी यूनियन द्वारा निर्धारित किराया दरों पर वाहन सुविधा उपलब्ध कराऐगी।

अतः उत्तराखण्ड स्थित टूर आपरेटर्स को सूचित किया जाता है कि, वे 07 दिनों के अन्तर्गत अपना आवेदन पत्र, श्री बदरीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति के कार्यालय– लेन नं0 7, साकेत कॉलोनी, कैनाल रोड़, देहरादून पिन– 248001, दूरभाष–0135 2741600/7302257116 से नियम एवं शर्तों को ज्ञात कर, जमा कर सकते हैं। तत्पश्चात कोई भी आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।

मुख्य कार्याधिकारी

नियम एंव शर्तें

1. ऐजेन्सी/फर्म का विधिमान्य पंजीकरण होना आवश्यक है, जिसका मुख्यालय उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत स्थापित हो।
2. ऐजेन्सी/फर्म द्वारा संचालित किए जाने वाले वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज/प्रपत्र राज्य के सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा अधिमान्य होना चाहिए।
3. ऐजेन्सी/फर्म चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं हेतु टैक्सी यूनियन द्वारा प्रदत्त दरों के अनुरूप ही किराया अधिमान्य करेगी।
4. उक्त राशि से 20 प्रतिशत का भुगतान मन्दिर समिति को रॉयल्टी के रूप में देना होगा।
5. यात्रा मार्ग में संचालित होने वाले वाहनों की फिटनेस सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप होगी।
6. रॉयल्टी का भुगतान त्रैमासिक आधार पर दो किस्तों में जुलाई, नवम्बर पर करना होगा।
7. चालको का व्यवहार यात्रियों के साथ सौम्य एवं मृदुल होना चाहिए।
8. अनुबन्ध की अवधि 03 वर्ष की होगी।
9. मन्दिर समिति की समयावधि से पूर्व अनुबन्ध को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
10. वाद की स्थिति उत्पन्न होने पर न्यायालय परिक्षेत्र देहरादून होगा।